



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

दिसंबर 2023

कार्य सूची

18 दिसम्बर 2023

1. प्रश्न

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. शून्य काल

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 जिसकी सूचना-श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-23 श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-29 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-55, में परिवर्तित कर दिया है जिसकी सूचना- (i) श्री बिशन लाल सैनी, एम.एल.ए.(ii) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए (iii) श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए.(iv) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए (v) श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए (vi) श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए (vii) श्रीमती रेनु बाला, एम.एल.ए (viii) श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए.(ix) श्रीमती शैली, एम.एल.ए.(x) श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए.(xi) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.(xii) राव दान सिंह, एम.एल.ए, तथा (xiii) श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.द्वारा दी गई है, को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

राज्य में नवम्बर, 2023 में जहरीली/नकली शराब के पीने के कारण यमुनानगर तथा अम्बाला जिले में 22 व्यक्तियों की मौत से संबंधित।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री बिशन लाल सैनी भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

माननीय सदस्या भी

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-44श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को समान/समरूप विषय वस्तु होने पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ क्लब कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

4. वर्ष 2019-20, 2020-21, तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों पर प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा मतदान।

(1)

वित्त मंत्री वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगों को प्रस्तुत करेंगे।

(2)

(i) वर्ष 2019-20 के लिए मांगें।

मांगसंख्या एक 8 मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि भवन एवं सड़कें के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 126,99,64,859/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2019-20 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेपृष्ठ 1
मांगसंख्या एक 23 मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि खाद्य एवं आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 26,39,64,601/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2019-20 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेपृष्ठ 2

(ii) वर्ष 2020-21 के लिए मांगें।

मांगसंख्या एक 35 मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि पर्यटन के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 21,92,63,603/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2020-21 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगे पृष्ठ 5
----------------------------	---	--

(i) वर्ष 2021-22 के लिए मांगें।

मांगसंख्या एक 7 मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि आयोजना तथा सांख्यिकी के संबंध में वर्ष 2021-22 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्च को विनियमित करने के लिए ₹ 63,43,10,825/- तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।	वर्ष 2021-22 के अनुदानों और विनियोगों से अधिक मांगेपृष्ठ 9-10
---------------------------	---	---

5. वर्ष 2023 - 2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1)

वित्त मंत्री 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

(2)

चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति 2023-2024 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6. 2023-2024 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त)।

(1)

- राज्य के राजस्व परप्रभारित व्यय के अनुमानोंपर चर्चा।
- अनुपूरकअनुदानों के लिए मांगों परचर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 3	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹51,19,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹6,39,41,268/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन के सम्बन्ध में मंत्री 31मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 1-6
मांग संख्या 4	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 7-9
मांग संख्या 5	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 5-गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या 6	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,54,82,865/- से अधिक न हो, मांग संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी (डी.ई.एस.ए.) के सम्बन्ध में 31मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 14-18
मांग संख्या 10	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹286,61,65,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/वागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 19-23
मांग संख्या 12	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹59,33,20,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹74,72,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान 2023-24 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 24-36
मांग संख्या 15	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/-से अधिक न हो, मांग संख्या 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले)के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 37-39
मांग संख्या 17	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹221,89,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2023-24(द्वितीय किस्त)पृष्ठ संख्या 40-44

मांग संख्या 19	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1126,25,00,000/- से अधिक न हो, अनुमान 2023-24 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 45-49
मांग संख्या 20	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 260,10,00,000/- से अधिक न हो, अनुमान 2023-24 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 50-59

7. विधायी कार्य (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(1)

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023. एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार मंत्री किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2)

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023. एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(3)

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023. एक प्रस्ताव करेंगे हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

Chandigarh-160001
दिनांक: १८ दिसम्बर २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा